



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2983

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40796 वर्ष 2025

अन्नी उर्फ शाहदीन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री अजय सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक

अन्नी उर्फ शाहदीन की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 727/2017,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत, पुलिस स्टेशन गुरसहायगंज, जिला कन्नौज में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पहले आवेदक जमानत पर था। लेकिन अवर न्यायालय में पेश न होने के कारण, आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। जब आवेदक को गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी मिली, तो उसने अवर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। उसके आपराधिक इतिहास के एक मामले का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। आवेदक का उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 13.10.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, **एनी उर्फ शाहदीन** को उपरोक्त मामले में, मुकदमा अपराध संख्या के तहत, न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी, या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह निर्णय न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

7 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।